खेताराम बनाम करनाराम
2021 / 110
निर्णय दिनांकः—12.05.2026

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना—बालोतरा
(पीठासीन अधिकारी —भंवर लाल आर.ए.एस.)

दर्ज तिथिः—27.07.2021

प्रार्थना पत्र सं.:—63 / 2021

1. खेताराम पुत्र कानाराम के कायम मुकाम
   1 / 1 जगराम पुत्र खेताराम
   1 / 2 केहराराम पुत्र खेताराम
   1 / 3 बालाराम पुत्र खेताराम
2. वागाराम पुत्र कानाराम
3. सदराम पुत्र निम्बाराम के कायम मुकाम
   3 / 1 सुजानाराम पुत्र सदराम
4. केसाराम पुत्र निम्बाराम
5. किसनाराम पुत्र निम्बाराम
6. हिरादेवी पत्नी निम्बाराम
7. रामजीवण पुत्र विरधाराम
8. भाखराराम पुत्र रिड़मलराम
9. रेखाराम पुत्र रिड़मलराम
10. खंगाराराम पुत्र रिड़मलराम
11. आसूराम पुत्र रिड़मलराम
12. सोनाराम पुत्र रिड़मलराम
13. कोयली पत्नी रिड़मलराम पत्नी रिड़मलराम फौत विलोपित
14. पेमाराम पुत्र विरदा
15. हनुमान पुत्र विरदा
16. अणसी पत्नी विरदा फौत
17. हिरकन पुत्र हणुता
18. मानाराम पुत्र काछबाराम के कायम मुकाम
    18 / 1 भाखराराम पुत्र मानाराम फौत
    18 / 1 / 1 किशनाराम पुत्र भाखराराम
    18 / 1 / 2 सोहनलाल पुत्र भाखराराम
    18 / 1 / 3 कालूराम पुत्र भाखराराम
    18 / 2 विरमाराम पुत्र मानाराम
19. भवरी पत्नी सुखराम

जति विश्नोई निवासी ढाकों का गोलिया तहसील धोरीमना जिला बालोतरा

................प्रार्थीगण

बनाम

1. करनाराम पुत्र विरधाराम

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बालोतरा)

2. रामचन्द पुत्र विरधाराम
3. किशनाराम पुत्र विरधाराम
4. बाबूलाल पुत्र निम्बाराम
5. हेमाराम पुत्र कोजाराम
6. खगाराराम पुत्र कोजाराम
7. जगमाल पुत्र कोजाराम
8. किशनाराम पुत्र कोजाराम
9. भागीरथराम पुत्र धनाराम
10. मोहनराम पुत्र धनाराम
11. मोडी पत्नी धनाराम
12. मगलाराम पुत्र लाधाराम के कायम मुकाम
    12/1 हिरकनराम पुत्र मंगलाराम के कायम मुकाम
    12/1/1 पपू पुत्र हिरकनराम
    12/1/2 ओमाराम पुत्र हिरकनराम
    12/1/3 शंकरा पुत्र हिरकनराम
    12/2 कालूराम पुत्र मगलाराम
    12/3 भूगानाराम पुत्र मगलाराम
    12/4 चूनाराम पुत्र मगलाराम
13. भाखराराम पुत्र फगलूराम
14. हरीराम पुत्र फगलूराम
15. बंशीलाल पुत्र फगलूराम फौत के कायम मुकाम
    15/1 महेश कुमार पुत्र बंशीलाल
    15/2 दिनेश कुमार पुत्र बंशीलाल
    जति विश्नोई निवासी ढाकों का गोलिया तहसील धोरीमना जिला बालोतरा
16. सुखराम पुत्र हरदा
17. ठाकरा पुत्र हरदा
18. विरधा पुत्र हरदा
19. रूगनाथ पुत्र हरदा
20. किशनाराम पुत्र हरदा के कायम मुकाम
    20/1 मांगीलाल पुत्र किशना
    20/2 रमेश पुत्र किशना
    20/3 बुधराम पुत्र किशना
    20/4 भेपी पत्नी किशना
21. निम्बाराम पुत्र धनाराम
22. उदाराम पुत्र धनाराम
23. दुर्गाराम पुत्र धनाराम
24. हिराराम पुत्र धनाराम
25. सोनाराम पुत्र धनाराम
26. लीला पत्नी धनाराम
    जाति रबारी निवासी मेघवालों की बस्ती अणदाणियों की ढाणी,तहसील धोरीमना
27. सरपंच ग्राम पंचायत अणदाणियों की ढाणी
28. बाबू पुत्र विशनाराम
29. हडमान पुत्र गोरधन
30. भागीरथ पुत्र गोरधन

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बालोतरा)

खेताराम बनाम करनाराम
2021 / 110
निर्णय दिनांकः–12.05.2026

31. मोहनलाल पुत्र गोरधन
32. लुगा पत्नी गोरधन
जाति विश्नोई निवासी विरमाणियों की ढाणी चैनपुरा तहसील धोरीमना जिला बालोतरा
33. तहसीलदार धोरीमना

..................: अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री रामजीवण विश्नोई
अप्रार्थीगणः–श्री रामनिवास विश्नोई

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111,128
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–12.05.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 295 रकबा 109 बीघा किस्म बारामी सोयम वाके ग्राम ढाको का गोलिया पटवार हल्का खारी तहसील धोरीमन्ना में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थी गण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार धोरीमन्ना के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना के आदेश भू.अ. / 2020 / 1424 दिनांक 29.12.2020 की पालना में दिनांक 27.01.2021 को खसरा संख्या 295 रकबा 109 बीघा किस्म बारामी सोयम वाके ग्राम ढाको का गोलिया पटवार हल्का खारी तहसील धोरीमन्ना द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करने हेतु पहूंचे लेकिन मौके पर विवाद की स्थिति में सीमाज्ञान नहीं किया जा सका। अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थी गण अपनी खातेदारी आराजी की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। असल अप्रार्थीगण संख्या 9, 10, 11, 12 / 1 / 2, 12 / 3, 12 / 4, 13, 14 , 15 असालतन–वकालतन हाजिर न्यायालय उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया जो शामिल मिशल किया गया। पत्रावली में विप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश किये जाने पर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बालोतरा)

न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना—पत्र प्रार्थी गण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 27.01.2021 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है। दौराने बहस अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त आराजी की पत्थरबंदी किये जाने के संबंध में अपने जवाब को बहस पढे जाने का कथन किया।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.***—*(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> *Provided that applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बालोतरा)

खेताराम बनाम करनाराम
2021 / 110
निर्णय दिनांकः—12.05.2026

उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थी की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 27.01.2021 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार धोरीमन्ना के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश करने पहुंचे लेकिन विवाद की स्थिति में पेमाईश नहीं की जा सकी। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा—111,128 भू—राजस्व अधिनियम—1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की हाल आराजी खसरा संख्या 295 रकबा 109 बीघा किस्म बारामी सोयम वाके ग्राम ढाको का गोलिया पटवार हल्का खारी तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों / हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी कर सीमा निर्धारण किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत ज़रिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। उक्त आराजी पर कब्जे के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में पत्थरगढी के समय कब्जा हटाने की कार्यवाही नहीं की जावें। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार धोरीमना को भिजवाया जाकर आदेश है कि इस आदेश की पालना अपील अवधि के पश्चात की जावे तथा राजस्व मण्डल के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए की जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 12.05.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(भंवर लाल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बालोतरा)